सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026
Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 05, 2026

संख्या प.2(9)वन/2026 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि उपर्युक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नही किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहॅुचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जॅाच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जॅाच व अभिलेखन जहॅा तक व्यवहार्थ हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17,18 और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जॅाच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नही होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में

किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशुपालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोडा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

सुदर्शन शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॅाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे**0** में
1	2	3	4	5	6	
1.	मोतीपुरा पार्ट ए रेंज-छोटीसादडी	छोटीसादडी	प्रतापगढ़	ग्राम-मोतीपुरा	953/952	11.00
					योग	11.00
				उत्तरः-ग्राम-मोतीपुरा का खसरा 905/729, 733 पूर्वः-ग्राम-मोतीपुरा का खसरा 734 दक्षिणः-ग्राम-मोतीपुरा का खसरा 951/729 वन खण्ड मोतीपुरा पश्चिमः-ग्राम-मोतीपुरा का खसरा 954/952		

हस्ताक्षर,

सुरेश अग्रवाल,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

वन खण्ड- "मोतीपुरा पार्ट ए"

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्षों की सूची

क्रं.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1.	रौंझ	*Acacia leucophloea*
2.	पलाश	*Butea monosperma*

हस्ताक्षर

प्रताप सिंह चुण्डावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
छोटीसादड़ी।

हस्ताक्षर

सुरेश अग्रवाल,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नहीं होता है, उसे काट दे)

वन खण्ड- "मोतीपुरा पार्ट ए"

नाम रेंज- छोटीसादडी

वन मण्डल- प्रतापगढ़

प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम- "Development and Maintenance of Dhariyawad-Parsola-Sabla Road (SH-91) District-Pratapgarh, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/468153/ 2024" (10.4639 Ha.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण (मगरी) है उक्त भूमि को वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण से "Diversion of 10.4639 Ha. Forest Land In Favour Of Rajasthan State Higways Authority, Jaipur For Development and Maintenance of Dhariyawad-Parsola-Sabla Road (SH-91) District-Pratapgarh, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/468153/2024)" के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक 2024-25/790-93 दिनांक 22.07.2024 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कालॅम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. भूमि पर वृक्षों का धनत्व नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख पलाश, रोंझ, लेन्टेना इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) - भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालॅम 5 में कर दिया गया है।
5. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी.शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
6. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट प्रकाश होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
7. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

हस्ताक्षर
प्रताप सिंह चुण्डावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
छोटीसादड़ी।

हस्ताक्षर
सुरेश अग्रवाल,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।